राजभाषा हिन्दी

महत्वपूर्ण सूचना
फाइल के अन्दर के पृष्ठ पर देखें

OFFICIAL LANGUAGE HINDI
See inside cover for important information

टिप्पणियाँ/पत्राचार
NOTES/CORRESPONDENCE

फाइल संख्या/FILE NO. 24012/1(S)/2005 Estt.(B)
खण्ड/Volume

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
(KARMIK LOK SHIKAYAT TATHA PENSION MANTRALAYA)
(KARMIK AUR PRASHIKSHAN VIBHAG)

........Estt.(B) अनुभाग/SECTION

अभिलेखीकृत Recorded in Sexetion ____	**विषय/Subject**
हस्ताक्षर Initials ____	THE RIGHT TO INFORMATION BILL, 2004 – ~~Consideration in Rajya Sabha~~ of ...
अभिलेख क/ख Record A/B ____	
अभिलेख ग में नष्ट किया जाए Record C Destroy in ____	
अनुभागीय नोट बुक में नोट किया जाए / नोट न किया जाए To be noted / Not to be noted In Sectional Note Book	
अनुभाग अधिकारी के आद्याक्षर Initials of S.O. ____	
लिपिक के आद्याक्षर Initials of Clerk ____	

No. -198/XXII/2005

From,

I.K. Pandey,
Principal Secretary, Finance,
Government of Uttaranchal,
Dehradun.

To,

Secretary,
Department of Personnel and Training,
Government of India,
New Delhi.

Dehradun : Dated : 12 August, 2005

Sub.:- **Financial Assistance regarding implementation of Right to Information Act, 2005**

Sir,

As you are aware that after receiving the assent of the President on 15th June, 2005 law relating to Right to Information has been enacted. Section 4, 5, 12, 13, 15, 16, 24, 27 and 28 which are related to the preparations for the implementation of Right to Information Act, have come into force from 15th June, 2005 and the remaining provisions will come into effect after 120 days i.e. on 12 October, 2005.

The period of 120 days from 15th June to 12th October, 2005 is very crucial and following preparations works are essentially required to be completed in a time bound manner :-

(i) Pro-Active disclosure under section-4 by all the public authorities.

(ii) Nomination of Public Information Officers (PIOs), Assistant Public Information Officers (APIOs) and Departmental Appellate Authorities (DAAs).

(iii) Constitution of State Information Commission.

(iv) Training of PIOs, DAAs and other officers of all Public Authorities throughout the State.

(v) Preparation of various guides, manuals and the literature for officers and public.

Uttaranchal State has started these preparations from June, 2005 and the Chief Secretary of the State has been reviewing the progress on a regular basis. Almost all the departments have already nominated PIOs, APIOs and DAAs in respect of Public Authorities in the State. The preparation of manuals/handbooks as Pro-Active disclosure by all the Public Authorities is in full swing and this work will be completed by 30th September, 2005. Steps

have already been initiated for the constitution of the State Information Commission and it will be established very soon. A State Level Workshop for senior officers was organised on 23-24 July, 2005 with the help of CHRI, New Delhi and YASHADA, Pune. Workshops in all districts of the State are scheduled to be held between 24th August and 6th September, 2005. 100 Master Trainers are being trained from 15th August, 2005 to 20th August, 2005 at Uttaranchal Academy of Administration, Nainital. These Master Trainers will train all PIOs and AAs between 10th and 25th September, 2005 in all districts of the State. A detailed Government Order in respect of the action plan with a time schedule for each activity has been issued by the State Government. A copy of this order is enclosed for your kind perusal.

The implementation of Right to Information Act in an effective manner involves substantial expenditure and for a small State like Uttaranchal it is very difficult to spare extra funds in the midst of the financial year. A broad estimate of funds required for various preparations for the effective implementation of RTI Act, 2005 has been prepared and enclosed herewith according to which Rs. 10.25 crore are needed as non recurring expenses and Rs. 1 crore annually as recurring expenditure.

It is requested that funds as per above requirement may kindly be sanctioned to Uttaranchal Government at the earliest so that all preparations may be done timely.

With kind regards,

Yours sincerely,

(I.K. Pandey)
Principal Scerctary.

Encl. As Above

Brief Estimate of Funds Required for Implementation of the Right to Information Act, 2005

(Rs. in Lacs.)

Sr. No.	Expenditure head	Recurring	Non Recurring
1	Establishment of State Information Commission(State Chief Information Commissioner, State Information Commissioners, other officers and Staff, office, residences, furnishing, equipment, vehicles etc.	100	100
2	Training/workshops (training of Master Trainers, PIO's, APIO's, district level workshops) Village level training for Gram Pradhans		100 200
3	State level Task Force on RTI for the effective preparation for the implementation of RTI Act (for 4 months)		25
4	Equipment needed in different public authorities/departments (Photostat machines, computers, internet services, fax machines etc.)		300
5	Publications (rules, guidelines, manuals, directory of PIOs, APIOs etc.)		200
6	Publicity of the Act (print media, electronic media, brochures, booklets etc.)		100
	Grand Total	**100**	**1025**

संख्या–177 /XXII /2005

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव,
समस्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सूचना अनुभाग   देहरादून   दिनांक 29 जुलाई, 2005

विषयः–सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन हेतु तैयारी के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

सूचना का अधिकार कानून दिनांक 15 जून, 2005 से अधिनियम का रूप ले चुका है। इस अधिनियम के कतिपय प्राविधान, जो अधिनियम के कियान्वयन की तैयारी से सम्बन्धित हैं, (धारा–4, 5, 12, 13, 15, 16, 24, 27 तथा 28) दिनांक 15 जून, 2005 से ही लागू हो गये हैं तथा अधिनियम के शेष प्राविधान दिनांक 15 जून, 2005 से 120वें दिन से लागू होंगे। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूर्ण रूप से लागू हो जायेगा तथा इस तिथि से अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिल जायेगा।

2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में धारा 2 (एच) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को पारिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार उत्तरांचल राज्य में निम्न सभी इकाईयाँ लोक प्राधिकारी हैं:–

(i). सचिवालय के शासन के समस्त विभाग।

(ii). शासन के समस्त निदेशालय।

विभाग के आकार तथा कार्यों की प्रकृति के अनुसार निदेशालय की लोक प्राधिकारी इकाईयाँ निम्न स्तर पर हो सकती हैं:–

(अ) मुख्यालय स्तर।
(ब) मण्डल स्तर।
(स) जिला स्तर।
(द) सब–डिवीजन स्तर।
(य) विकास खण्ड स्तर।

(iii). प्रत्येक सार्वजनिक निगम, परिषद, प्राधिकरण, संस्थान, स्वायत्तशासी संस्था तथा अन्य निकाय (निदेशालय की भाँति इन संस्थाओं के कार्यालय भी विभिन्न स्तरों पर हो सकते हैं)।

(iv). शहरी क्षेत्र की समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम सम्मिलित हैं।

(v). ग्रामीण क्षेत्र की समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सम्मिलित हैं।

(vi). ऐसी गैर–सरकारी संस्थायें (NGOs) जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्त पोषित (Substantially Financed) हैं।

3. यह निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में सभी लोक प्राधिकारियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिनियम के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी भली–भाँति करा दी जाय। उन्हें अधिनियम के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ–साथ बैठकें/कार्यशाला आयोजित करके अधिनियम के प्राविधानों को विस्तार से समझा दिया जाय। यह कार्रवाई सभी विभागों द्वारा लोक प्राधिकारियों में सभी स्तर पर सुनिश्चित की जानी हैं। दिनांक 23–24 जुलाई, 2005 को आयोजित कार्य–शाला में भी अधिनियम के सम्बन्ध में सामग्री उपलब्ध करायी गई है। इसमें से सुसंगत सामग्री की प्रतियाँ सभी लोक प्राधिकारियों को भी उपलब्ध करा दी जायें।

4. पैरा–2 में उल्लेख किये गये प्रत्येक लोक प्राधिकारी को निम्न तीन श्रेणियों के अंतर्गत अधिकारियों को नामित करना हैं:–

(क) लोक सूचना अधिकारी (PIO)–धारा–5

(ख) सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO)–धारा–5

(ग) विभागीय अपील अधिकारी–प्रथम अपील (DAA)–धारा–19

इन अधिकारियों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जायः–

(i). अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा माँगे जाने पर 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी का है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यह अधिकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लोक सूचना अधिकारी को नामित करते समय यह ध्यान में रखा जाय कि ऐसे स्तर के अधिकारी को नामित किया जाय, जो यथा सम्भव अपने स्तर से ही सूचना उपलब्ध करा सकें और किसी अन्य कार्यालय से सूचना मंगाकर उपलब्ध कराने की आवश्यकता कम से कम पड़े।

(ii). प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिये जितनी आवश्यकता हो उतने लोक सूचना अधिकारी नामित किये जायेंगे।

(iii). प्रत्येक विभाग अपने लोक प्राधिकारियों के लिये उनके आकार, गतिविधियाँ, कार्यालयों की सँख्या, कार्य की प्रकृति तथा जनसाधारण को सूचना की आवश्यकता के आधार पर लोक सूचना अधिकारी नामित करेगा। लोक सूचना अधिकारी शासन स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर, मण्डल स्तर पर, जिला स्तर पर, सब–डिवीजन स्तर पर तथा विकास खण्ड स्तर आदि पर जैसी आवश्यकता हो नामित किये जायें।

(iv). लोक सूचना अधिकारी यथा सम्भव ऐसे अधिकारी हों, जो मुख्यतः क्षेत्र भ्रमण के कर्तव्य के सम्पादन करने में ही न लगे हुए हों।

(v). लोक सूचना अधिकारी यथा सम्भव कार्यालयाध्यक्ष हों (Head of the Office) ताकि वे अपने कार्यालय की अभिरक्षा में रखी गई सूचनाओं को जनसाधारण को सुलभता से उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकें।

(vi). अधिनियम में सहायक लोक सूचना अधिकारियों को नामित किये जाने का प्राविधान भी है। अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिये सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन दिया जाता है, तो ऐसी दशा में सहायक लोक सूचना अधिकारी उसे लोक सूचना अधिकारी को भेजेगा और इसके लिये अधिनियम में अधिकतम 5 दिन का समय नियत किया गया है। प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी के नीचे के स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाना है। प्रत्येक विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर तथा सब–डिवीजन स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित करेगा। उद्देश्य यह है कि दूरस्थ स्थानों में यदि जनसाधारण लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क नहीं कर पाते हैं, तो सहायक लोक सूचना अधिकारी निकटतम स्थान पर उपलब्ध हों, ताकि उनके माध्यम से जन–साधारण को सूचना प्राप्त हो सके।

(vii). प्रत्येक लोक प्राधिकारी को प्रथम अपील हेतु विभागीय अपील अधिकारी (DAA) भी नामित किये जाने हैं, जो लोक सूचना अधिकारियों से उच्च स्तर के अधिकारी होंगे। जनसाधारण की सुविधा की दृष्टि से यह उपयुक्त होगा कि ऐसे अपील अधिकारी यथा संभव उसी स्थान पर कार्यरत हों, जहाँ लोक सूचना अधिकारी कार्यरत हैं।

(viii). गैर–सरकारी संस्थायें (NGOs) जिन्हें लोक प्राधिकारी चिन्हित किया गया है, में भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारी नामित कराये जायें।

(ix). लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी की संख्या एवं उन्हें किस स्तर तक नामित किया जाये, यह निर्धारित करते समय जनसाधारण की सुविधा को ध्यान में रखा जाय। यह भी देखा जाय कि बिचौलियों की भूमिका विकसित/प्रोत्साहित न हो पाये।

5. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्थानीय निकाय लोक प्राधिकारी हैं। अतः प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम को शहरी क्षेत्र में तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र में लोक सूचना अधिकारियों,

सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील अधिकारी नामित करने होंगे। प्रत्येक इकाई को अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं की सूचना से सम्बन्धित मैनुअल भी तैयार करने होंगे।

6. दिनांक 23–24 जुलाई, 2005 को आयोजित राज्य कार्यशाला में ग्राम पंचायतों में प्रत्येक ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हुआ। चूंकि ग्राम पंचायतों में सभी रिकार्ड्स प्रधान के पास उपलब्ध रहते है तथा प्रदेश में वर्तमान में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की कमी है, अतः यह उपयुक्त समझा गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाये। सचिव, पंचायती राज इस सम्बन्ध में विचार एवं परीक्षण करके तत्काल आवश्यक कार्रवाई करेंगे और यथा आवश्यकता पंचायती राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई करेंगे।

7. अधिकाँश विभागों द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपील अधिकारी को नामित किये जाने का कार्य सम्पादित कर लिया गया है। उक्त पैरा–4 में इंगित कुछ मार्गदर्शक बिन्दुओं के आधार पर प्रत्येक विभाग द्वारा नामित इन अधिकारियों की पुनः समीक्षा कर ली जाय और संलग्न प्रोफॉर्मा में इनसे सम्बन्धित सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 5 अगस्त, 2005 से पूर्व उपलब्ध करा दी जाय। (संलग्नक–1)

8. सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा–4 के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा 16 बिन्दुओं पर अपनी ओर से ही स्वतः सूचनायें घोषित की जानी है। सूचनाओं के प्रकटीकरण (Pro-active Disclosure) के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओ का ध्यान रखा जायः–

(i). सूचनाओं से सम्बन्धित 16 मैनुअल प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा तैयार किए जाने हैं।

(ii). ये मैनुअल विभाग के आकार, गतिविधियाँ, कार्य की प्रकृति, जनसाधारण की सूचना की आवश्यकता आदि कारकों को ध्यान में रख कर निम्न स्तरों के लिए तैयार कराये जाने हैं:–

(क) शासन स्तर।
(ख) निदेशालय स्तर।
(ग) मण्डल स्तर।
(घ) जिला स्तर।

मैनुअल की विषय सामग्री में लचीलापन रखा जा सकता है। विभिन्न स्तरों के लिये तैयार कराये जाने वाले मैनुअल की विषय सामग्री अलग–अलग हो सकती है। कुछ विषय सामग्री सभी स्तरों के मैनुअल्स के लिये समान हो सकती हैं। कुछ सामग्री ऐसे भी हो सकती हैं, जो जिला स्तर के मैनुअल में हों तथा शासन/मुख्यालय स्तर के मैनुअल के लिये प्रासंगिक न हों। विभिन्न स्तरों के लिये मैनुअल की विषय सामग्री क्या हो, इसे तय करते समय यह ध्यान रखा जाय कि किस स्तर पर जनसाधारण को किस प्रकार की सूचना की आवश्यकता प्रायः रहती है।

(iii). अधिनियम की धारा–4 का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी लोक प्राधिकारी जन–साधारण की रुचि से सम्बन्धित सूचनाओं को स्वतः ही अग्रिम रूप में प्रकट कर दें, ताकि इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना माँगने की आवश्यकता न्यूनतम हो जाये। मैनुअल तैयार करते समय इस आधारभूत सिद्धांत का ध्यान रखा जाय।

(iv). चूंकि Pro-active Disclosure का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को अपनी ओर से ही सूचनायें उपलब्ध कराना है, अतः प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा इस विषय का विस्तार से अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाये कि जनसाधारण द्वारा सामान्यतः किन–किन सूचनाओं को माँगा जाता है और किस जानकारी को लेने के लिये वे प्रायः कार्यालय में आते हैं।

(v). जनसाधारण को सुलभ रूप से सूचनायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार धारा–4 के अंतर्गत जो 16 बिन्दु बताये गये हैं, उनके अतिरिक्त भी अन्य बिन्दुओं पर मैनुअल में सूचनायें सम्मिलित की जायें, ताकि अधिनियम के अंतर्गत सूचना माँगे जाने की आवश्यकता न्यूनतम हो जाय।

(vi). शासन के वित्त विभाग के "वित्त एवं हकदारी निदेशालय" द्वारा 16 बिन्दुओं पर मैनुअल तैयार किये गये हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 पर दिनांक 23 एवं 24 जुलाई, 2005 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में आये हुए विशेषज्ञों द्वारा इन मैनुअल्स को सराहा गया है। इन मैनुअल्स की एक प्रति आपको उपलब्ध करा दी गई है। सभी विभागों द्वारा अपने मैनुअल तैयार कराने के लिये उसका उपयोग किया जा सकता है।

(vii). टाटा कन्सलटैन्सी सर्विसेज (TCS) द्वारा भी कुछ विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव आदि से विचार–विमर्श करके तथा दिनांक 23 एवं 24 जुलाई, 2005 को कार्यशाला में हुई चर्चा के आधार पर इन 16 मैनुअल्स का Template भी तैयार किया गया है, जिसकी प्रति आपको उपलब्ध करायी जा चुकी है। यद्यपि सभी लोक प्राधिकारियों के सम्बन्ध में एक कॉमन प्रारूप विकसित किया जाना संभव नहीं है तथापि लोक प्राधिकारियों द्वारा मैनुअल तैयार करते समय इस Template का उपयोग भी किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन/संशोधन अवश्य कर लिया जाये।

(viii). इन मैनुअल्स को तैयार करने के पश्चात नियमित अंतराल पर अध्यावधिक भी किया जायेगा। किस सूचना को किस सम्यावधि पर अध्यावधिक की जाना है, इसके सम्बन्ध में अधिनियम के अंतर्गत बनाये जाने वाले नियमों के अंतर्गत अलग से व्यवस्था की जायेगी।

(ix). इन मैनुअल्स की सूचनाओं को पुस्तक, नोटिस बोर्ड, विभागीय पुस्तकालय, निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्धता तथा इंटरनेट आदि के माध्यम से जनसाधारण को सुलभ कराया जाना हैं। किस स्तर पर किस माध्यम से सूचनाओं को जन–साधारण को उपलब्ध कराया जाना है, के सम्बन्ध में विभाग उपलब्ध संसाधन अपने कार्यों एवं सूचना की प्रकृति तथा जनसाधारण की सुविधा के आधार पर निश्चित करेंगे। मुख्यालय/शासन स्तर पर इन्टरनेट के माध्यम से सूचनाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायें।

9. समस्त विभागों द्वारा मैनुअल तैयार कराने का कार्य प्रगति पर है और कुछ विभागों के लोक प्राधिकारियों द्वारा समस्त अथवा कुछ मैनुअल तैयार भी कर लिये गये हैं। पैरा–8 में दिये गये बिन्दुओं के आधार पर इन तैयार कराये जा रहे मैनुअल्स की पुनः समीक्षा कर ली जाय और यथा आवश्यकता संशोधन कर लिये जायें।

10. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले में एक दिवसीय कार्यशाला के तत्काल आयोजित करने की आवश्यकता हैं। उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल दिनांक 10 अगस्त से 20 अगस्त, 2005 के मध्य सभी जनपदों में यह कार्यशाला आयोजित करेंगे। इस सम्बन्ध में अकादमी सभी जिलाधिकारियों से सम्पर्क करके तत्काल कार्यशाला कार्यक्रम तैयार करेंगे।

अधिनियम के कियान्वयन हेतु लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपील अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक हैं। उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल इस उद्देश्य हेतु सर्वप्रथम 100 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु कार्यक्रम तैयार करेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो दिवसीय होगा तथा इसे दिनांक 20–25 अगस्त, 2005 के मध्य देहरादून तथा नैनीताल में आयोजित किया जायेगा।

मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से प्रत्येक जिले में समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिलाधिकारियों द्वारा प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के पर्यवेक्षण में दिनांक 1 सितम्बर से 20 सितम्बर, 2005 के मध्य आयोजित कराये जायेंगे।

प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल बाहरी संस्थाओं यथा सी0एच0आर0आई0, नई दिल्ली तथा 'यशदा', पुणे तथा अन्य संस्थाओं से आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्राप्त करेगें।

11. पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम प्रधान के प्रशिक्षण हेतु सचिव, पंचायत द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्य दिनांक 1 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2005 तक पूर्ण किया जायेगा।

12. सूचना के अधिकार अधिनियम के कियान्वयन की तैयारी हेतु निम्न कार्य किये जाने भी आवश्यक हैं:–

(i). सूचना आयोग का गठन।

(ii). अभिसूचना तथा सुरक्षा एजेन्सी को अधिनियम की परिधि से बाहर रखे जाने हेतु अधिसूचना निर्गत कराया जाना।

(iii). अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को बनाया जाना।

(iv). अधिनियम के सम्बन्ध में जन–साधारण को शिक्षित करने तथा राजकीय कार्यालयों की सुविधा हेतु सरल भाषा में एक "प्रेक्टीकल गाईड मैनुअल" तैयार करना।

उक्त कार्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय करते हुए सूचना विभाग द्वारा सम्पादित किये जायेगें।

13. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन हेतु एक समय–सारिणी तैयार करके पूर्व में ही भेजी जा चुकी है। इस शासनादेश में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में संशोधित समय–सारिणी संलग्न की जा रही है (संलग्नक–2)। कृपया इस समय–सारिणी के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

14. इस शासनादेश में दिये गये बिन्दुओं पर तत्परता एवं समयबद्ध रूप में कार्रवाई की जाये।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(एम0 रामचन्द्रन)

संख्या– /XXII /2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।

3– समस्त अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।

4– समस्त विभागाध्यक्ष, देहरादून, उत्तरांचल।

5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(डी0के0 कोटिया)
सचिव

संलग्नक–1

उत्तरांचल शासन

.... विभाग

संख्या– /VI/2005

देहरादून : दिनाक जुलाई, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5 एवं धारा–19 में कमशः लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये हैं। इन व्यवस्थाओं के अधीन .... विभाग के अधीन विभिन्न लोक प्राधिकारी इकाईयों में लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्यों हेतु संलग्नक प्रारूप के अनुरूप नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2. इन कार्मिकों को इन कार्यों हेतु अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

(..)

प्रमुख सचिव/सचिव

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

लोक प्राधिकारी इकाईयों में लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का विवरण:–

विभाग का नाम...

क0सं0	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
क	ख	ग	घ	च

(...)

संलग्नक–2

सूचना के अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु समय–सारिणी

क्रम	कार्य	समय सीमा	सम्बन्धित विभाग
1.	प्रत्येक विभाग में "लोक प्राधिकारी" इकाईयों का चिन्हीकरण	5 अगस्त, 2005	समस्त विभाग
2.	"लोक प्राधिकारी" द्वारा 16 मैनुअल को तैयार करना एवं उनका प्रकाशन	संलग्न	समस्त विभाग
3.	लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों का चिन्हीकरण एवं नामांकन	5 अगस्त, 2005	समस्त विभाग
4.	लोक सूचना अधिकारी के निर्णय पर अपील हेतु अपीलेट अधिकारी का चिन्हीकरण एवं नामांकन	5 अगस्त, 2005	समस्त विभाग
5.	राज्य लोक सूचना आयोग का गठन	31 अगस्त, 2005	नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
6.	सुरक्षा व सतर्कता संगठनों/इकाईयों को अधिनियम की परिधि से बाहर रखना तथा उन्हें अधिसूचित करना	31 अगस्त, 2005	गृह विभाग
7.	प्रत्येक जिले में कार्यशाला का आयोजन	10 से 20 अगस्त, 2005	उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल
8.	मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण	20 से 25 अगस्त, 2005	उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल
9.	अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु नियमावलियों को तैयार करना	31 अगस्त, 2005	सूचना विभाग
10.	लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील अधिकारियों का जिले–वार प्रशिक्षण	1 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2005	जिलाधिकारी एवं प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल
11.	प्रेक्टिकल गाइड मैनुअल तैयार करना	15 सितम्बर, 2005	सूचना विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी होने के पूर्व लोक प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले मैनुअलों की समय–सारिणी

कम0सं0	मैनुअल	समय सीमा
1	संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	5 अगस्त, 2005
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	5 अगस्त, 2005
3	लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना	10 अगस्त, 2005
4	नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना	10 अगस्त, 2005
5	दस्तावेजों जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों (Categories) के अनुसार विवरण	15 अगस्त, 2005
6	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण। साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी	15 अगस्त, 2005
7	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	31 अगस्त, 2005
8	निर्णय करने की प्रकिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)	31 अगस्त, 2005
9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	31 अगस्त, 2005
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रामिक और उसके निर्धारण की पद्धति	31 अगस्त, 2005
11	प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)	15 सितम्बर, 2005
12	अनुदान/राजसहायता कार्यकमों (Subsidy Programmes) के कियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यकमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	15 सितम्बर, 2005
13	रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण	15 सितम्बर, 2005
14	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम	30 सितम्बर, 2005
15	किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे	30 सितम्बर, 2005
16	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण	30 सितम्बर, 2005

PM-4079/Secy(P)/2005
21-9-2005

15

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

नई दिल्ली-110 011
New Delhi-110 011

Reply by Monday
22.9

Please find enclosed a copy of a letter dated 13.9.2005 addressed to the Prime Minister by Shri Narendra Modi, Chief Minister, Gujarat regarding enactment of the Right to Information Act, 2005.

JS(E)

The undersigned has been desired to request that comments in the matter may kindly be sent to this office urgently for submission to the Prime Minister.

22/9

Dir (E-II) / US (E.I-B)

V. Vidyavathi
(V. Vidyavathi)
Director

22/9/05

Secretary, Department of Personnel & Training
PMO UO No.600/40/C/05/2005-ES.II Dated: 19.09.05

Act, for which we will need extensive support and funding from Government of India as well.

Email : cm @ gujaratindia.com Website : www.gujaratindia.com

To PM

Faxed to CA OH NY 17/9

11

No. CMS/GOI/ 216

1/3

[...]ra Modi
[...] MINISTER
[...]ARAT STATE

Sardar Bhavan, Sachivalaya.
Block No. 1, 5th Floor.
Gandhinagar-382 010. Gujarat
Phone : (O) (079) 23232611 to
23232619
Fax No (079) 23222101

September 13, 2005.

Respected **Pradhan Mantri Ji,**

The enactment of the Right to Information Act in June, 2005 is an important step towards ensuring transparency and accountability in government and empowering the people for real participation in governance. The Government of Gujarat is also committed to the concept of Right to Information and we have already taken preliminary steps for implementation of this Act in Gujarat.

However, I would like to point out certain difficulties enumerated below, which are likely to arise while implementing this Act because of certain provisions in the Act.

1. The time frame of 120 days for starting the implementation of the Act is very short in view of the number of activities which are required to be undertaken prior to the implementation date. Many countries of the world had a transition/preparation period of as much as 5 years before the Act was implemented. While this kind of time-frame may be considered too long, 120 days is inadequate to complete all the actions required prior to the implementation of the Act.

2. The success of the Act lies in bringing about the change of mindset of the civil servants who are to implement this Act. This requires an extensive training for change of mindset at all levels. In Gujarat, we have already trained 1.4 lakh government employees (including Class-IV employees) for change of mindset through a module of training called **V-Governance Training** which has helped us prepare the ground for accepting any Good Governance initiative such as Right to Information. Training is now required to be given to all the State Govt employees about the provisions of Right to Information Act, for which we will need extensive support and funding from Government of India as well.

Email : cm @ gujaratindia.com Website : www.gujaratindia.com

PM

Faxed to CA off NY ... 17/9

3. One of the provisions of the Act exempts persons belonging to Below Poverty Line family from payment of any fees/charges for getting information. It is mentioned in the Act that the purpose of acquiring information will not be asked from the applicant. There is, therefore, a definite possibility that anyone wanting to get voluminous information from the Government will take the route of a BPL family so as to avoid payment of even the cost of stationery. We need to plug this loop-hole by putting a limit of certain number of pages of information which can be given free to members of BPL families and charging them for additional pages required.

4. Since even the personnel information is also not exempted under this Act, question will arise when information is asked for regarding the confidential reports of officers and records of Departmental Promotion Committees etc. ? Unless a specific exemption is made for personnel information, the Act is likely to be misused by various employees by taking a route of citizen seeking information.

5. The success of the Act will depend on dissemination of information about the provisions of the Act to public at large. This exercise will involve organizing mass-scale seminars, meetings, distribution of print material, and use of electronic media. It is necessary that Government of India sets apart some money for assistance to State.

6. The obligations arising out of the Act will necessitate business process re-engineering and modernization and up-gradation of record compilation in Government to meet the deadline of providing information within the 30 days. Each State Government will have to spend lakhs of rupees for computerization of data. It is important that Government of India strengthens the State Governments by providing necessary funds.

We estimate that training all the employees, preparation of print literature, compilation of data base and its computerization will cost at least Rs. 200 crores. We request Government of India to fund at least 50% of this.

n Sheet

Since as per the existing provisions of the Act, it comes into force from 12th of October, 2005, the matter will need prompt and positive consideration by Government of India.

I look forward to active support of Central Government in pursuance of our request.

With regards,

Yours sincerely,

(Narendra Modi)

Dr. Manmohan Singhji,
Hon'ble Prime Minister of India,
Prime Minister's Office,
NEW DELHI.

GOVERNMENT OF TRIPURA
GENERAL ADMINISTRATION (AR) DEPARTMENT

No. F. 3(5)-GA(AR)/2005 / 1788 Dated, Agartala, the 24th Sept., 2005

To
Sri T. Jecob,
Joint Secretary (E) to the
Government of India,
Department of Personnel & Training,
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,
North Block,
New Delhi -110 001

Subject :- **Implementation of the Right to Information Act, 2005 — Sanction of financial assistance.**

Sir,

I am directed to inform you that the Right to Information Act, 2005 which is required to be implemented by every State Government. The implementation of the Act involves creation of some new infrastructure, such as constitution of State Information Commission with one Chief Information Commissioner and not more than 10(ten) other State Information Commissioners. Moreover, the State Government is required to appoint officers and employees for the Commission for discharge of its functions under the Act.

2. Tripura is a small and backward State in the North-Eastern Region and it does not have the means of meeting the expenditure of a State Commission, its officers and employees.

3. The approximate annual expenditure against the State Information Commission, besides other expenses, is estimated to be to the tune of Rs. 48.36 lakhs. An estimate of the annual expenditure on various items against the State Information Commission is enclosed at Annexure-I to this letter.

Contd. to Page-2

Establishment cost of State Information Commission

1.	Chief Information Commissioner Pay + DA minus Pension = Rs. 30,940 Per month x 12	= Rs. 3,71,280/-
	a) Medical Allowance (per annum)	= Rs. 50,000/-
	b) L.T.C. (per annum)	= Rs. 100000/-
2.	Information Commissioner =Rs.29,545 per month x12 (Emoluments minus pension)	= Rs. 3,54,540/-
3.	Secretary to the Commission = Rs. 28000 per month x12 (TCS Gr-I, Selection Grade)	= Rs. 3,36,000
4.	Stenographer – 3 (three) nos. = Rs.18000 per month x3x12 (P.S. – IV)	= Rs. 6,48,000
5.	Office Superintendent – 1(one)= Rs. 15000 per month x12	= Rs.1,80,000
6.	Head Clerk - 1(one) = Rs. 14,000 per month x12	= Rs. 1,68,000
7.	U. D. Clerk – 2(two) = Rs. 12000 per month x2x12	= Rs. 2,88,000
8.	L.D. Clerk – 4 (four) = Rs. 10000 per month x4x12	= Rs. 4,80,000
9.	Class – IV – 5 (five) = Rs. 8000 per month x 5x12	= Rs. 4,80,000
10.	Driver – 3 (three) = Rs. 10000 per month x3 x12	= Rs. 3,60,000
11.	Cost of New Vehicle (Ambassador non AC) (3 nos.) 3,40,000 x3 nos	= Rs. 10,20,000
	Total :	**Rs. 48,35,820**

S.No-8(R)

NO. F.3(5)-GA(AR)/2005/ 1410-1411

GOVERNMENT OF TRIPURA
GENERAL ADMINISTRATION (AR) DEPTT.
AGARTALA, TRIPURA.

Dated, Agartala, the 3rd August, 2005.

To
Sri A. N. Tiwari,
Secretary to Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievance & Pension ,
New Delhi- 110001

Sub:- **Implementation of Right to Information Act, 2005 - clarification thereof.**

Sir,

I am directed to inform you that necessary action for implementation of ' the Right to Information Act, 2005 ' is being taken in the State of Tripura . It is proposed that Govt. of India may consider organizing a **workshop** on implementation of different provisions of the Right to Information Act, 2005. In addition , in case any Ministry of Govt. of India has made any model exercise, a copy of the model may be sent to us for our guidance.

2. I may also request you to kindly intimate us whether there is any scope to get any financial assistance from the Govt. of India towards implementation of different provisions of the Act .

Yours faithfully,

3/8/05

(**B. Sinha**)
Commissioner & Secretary.

Copy to :-

The Special Commissioner . Tripura Bhavan. New Delhi. For kind information .

C-1655/JS(E)/05
3/10/05

Telefax: 0771-2221204

Nand Kumar
Secretary
General Administration
Department (RTI),
Mantralaya, Raipur
22nd September 2005

To,

~~Mr Saini~~ Shri T. Jacob,
Joint Secretary
(Right to Information)
Department of Personnel and Training
North Block, New Delhi

DS (RTI)

Budget Requirements for Implementation of RTI Act

Sir,

The State of Chhattisgarh very implementing the Right to Information Act, 2005 in right earnest. We are progressing well in terms of appointing PIOS and APIOs and also in preparations for the document on proactive disclosures. Preparations have also been made for uploading these documents in the Internet.

The Chief Minister of our State is very committed in implementation of the Act. This can be seen from the fact that he has selected his home district for in depth implementation of the Act. Also, as per his guidance we are organizing one-day workshop each for Council of Ministers, Chairpersons of Municipal Corporations and Councils, District and Block Panchayats where he himself will guide the participants.

We have worked out the budget requirements for effective implementation of the Act that is attached in the adjoining page. Kindly arrange the fund of Rs 14.62 Crores to enable us to effectively implement the Act.

Thanking you and with best regards,

Yours sincerely,

(Nand Kumar)

Budget Requirements For Effective Implementation

Description	Amount (Lakhs)
Establishing and operating the institution of CIC (one year)	150
Training all PIOs and APIOs of the State	10
Sensitization of all employees and Sarpanch (Rs 20 lakhs per district)	320
Awareness generation in the public (Rs 20 lakhs per district)	320
Provision of computers /printers to all PIOs and APIOs excluding Sarpanch and schools (Rs 40,000 X 1,000)	400
Establishing Information Kiosks for the public upto block level to begin with (Rs 1 lakh at 150 places)	150
Establishing Facilitation Centres - one at every district HQ (one year) - 3 persons with computers, printers and photocopiers (Rs 5 lakhs per district per year) for one year	80
Establishing public libraries where all the documents proactively disclosed should be put - for one year (Rs 2 lakhs per district)	32
Total	1462

(Nand Kumar)
Secretary
Govt. of Chhattisgarh.

GOVERNMENT OF TRIPURA
GENERAL ADMINISTRATION (AR) DEPARTMENT

No. F. 3(5)-GA(AR)/2005/1782 Dated, Agartala, the 24th Sept., 2005

To
Sri T. Jecob,
Joint Secretary (E) to the
Government of India,
Department of Personnel & Training,
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,
North Block,
New Delhi –110 001

Dir (E-II) on leave.

Subject :- **Implementation of the Right to Information Act, 2005 — Sanction of financial assistance.**

Sir,

I am directed to inform you that the Right to Information Act, 2005 which is required to be implemented by every State Government. The implementation of the Act involves creation of some new infrastructure, such as constitution of State Information Commission with one Chief Information Commissioner and not more than 10(ten) other State Information Commissioners. Moreover, the State Government is required to appoint officers and employees for the Commission for discharge of its functions under the Act.

2. Tripura is a small and backward State in the North-Eastern Region and it does not have the means of meeting the expenditure of a State Commission, its officers and employees.

3. The approximate annual expenditure against the State Information Commission, besides other expenses, is estimated to be to the tune of Rs. 48.36 lakhs. An estimate of the annual expenditure on various items against the State Information Commission is enclosed at **Annexure-I** to this letter.

Contd. to Page-2

4. The State Government is unable to meet the above mentioned annual expenditure of the Commission.

5 You are, therefore, requested to kindly sanction Rs. 48.36 lakhs annually to meet the expenses of the State Information Commission on priority basis..

Enclo :- **As stated.**

23/12/05
(S. C. Das)
Commissioner & Secretary to the
Government of Tripura.

Right to Information Act/1-2

Establishment cost of State Information Commission

1.	Chief Information Commissioner Pay + DA minus Pension = Rs. 30,940 Per month x 12	= Rs. 3,71,280/-
	a) Medical Allowance (per annum)	= Rs. 50,000/-
	b) L.T.C. (per annum)	= Rs. 100000/-
2.	Information Commissioner =Rs.29,545 per month x12 (Emoluments minus pension)	= Rs. 3,54,540/-
3.	Secretary to the Commission = Rs. 28000 per month x12 (TCS Gr-I, Selection Grade)	= Rs. 3,36,000
4.	Stenographer – 3 (three) nos. = Rs.18000 per month x3x12 (P.S. – IV)	= Rs. 6,48,000
5.	Office Superintendent – 1(one)= Rs. 15000 per month x12	= Rs.1,80,000
6.	Head Clerk - 1(one) = Rs. 14,000 per month x12	= Rs. 1,68,000
7.	U. D. Clerk – 2(two) = Rs. 12000 per month x2x12	= Rs. 2,88,000
8.	L.D. Clerk – 4 (four) = Rs. 10000 per month x4x12	= Rs. 4,80,000
9.	Class – IV – 5 (five) = Rs. 8000 per month x 5x12	= Rs. 4,80,000
10.	Driver – 3 (three) = Rs. 10000 per month x3 x12	= Rs. 3,60,000
11.	Cost of New Vehicle (Ambassador non AC) (3 nos.) 3,40,000 x3 nos	= Rs. 10,20,000
	Total :	**Rs. 48,35,820**

8/2
16/22

31

क्रमांक एफ 11-?/2005/1/9

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

प्रेषकः-

डी. एस. राय.
सचिव

प्रेषितीः-

सचिव,
भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

भोपाल, दिनांक 16 सितंबर, 2005

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन हेतु राशि का आवंटन।

: 0 :

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन करने हेतु प्रदेश में व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ की जा चुकी हैं। इस अधिनियम के कियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस अधिनियम का कियान्वयन उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से त्वरित गति से किया जाना संभव नहीं होगा । अतएव उक्त अधिनियम के सुचारू रूप से कियान्वयन हेतु रू. 1,12,52,90,000/- (रूपये एक अरब बारह करोड़ बावन लाख नब्बे हजार मात्र) की अतिरिक्त राशि वर्ष 2005-06 के लिये प्रदान की जाए ।

भवदीय,
16/9/2005

(डी. एस. राय)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

PS (Cord)